

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

श्रीतारसीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 22/2025

वाद पत्र अं. धारा 53/88 आर.टी.ए. एव 136 एलआरएक्ट

1 विजय कुमार पुत्र श्री सीताराम

2 अरुण कुमार पुत्र श्री सीताराम

3 संजीव कुमार पुत्र सीताराम

समस्त जाति अग्रवाल नि.सैक्टर नं. 3 हनुमानगढ़ टा.

तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम



1. रूपसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
2. अक्कोबाई पुत्र बिलू जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
3. कालो पुत्री तारासिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
4. कौशल्या बाई पुत्री साहब सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
5. छिन्द्रपाल सिंह पुत्र बिलू जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
6. छीलाबाई पुत्र बिलू जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
7. जीतोबाई पुत्री साहब सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
8. तारासिंह पुत्र पेड़ा सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
9. दीपोबाई पुत्री साहब सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
10. परमजीतकौर पुत्री तारासिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
11. भंवरबाई पत्नी साहब सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
12. लक्ष्मीबाई पत्नी साहब सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
13. वीरपाल पुत्री तारासिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
14. सतनाम सिंह पुत्र साहब सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया।
15. तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 3.2.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरू हमारे वहाजरी श्री भीम सिंह पारीक वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री.....वकील प्रतिवादी
मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 20 एफटीपी

1. अरुण कुमार, संजीव कुमार, विजय कुमार पिता सीताराम हिस्सा 0.122 है. बहिब जाति अग्रवाल
सा.सैक्टर नं. 3 हनुमानगढ़ टा. , रूप सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह हिस्सा 0.005 जाति रायसिख सा.
फतेहपुर खा. प.न. 163/257 मु.न. 60 किला नं. 10/0.127 है. नहरी


महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4417 दिनांक 12.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

क. हनुमानजी मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.2.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।


(जय कौशिक)
साहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया